भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 641

03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- कृषि राजसहायता और रोजगार सृजन योजनाएं

641. डॉ. फग्गन सिंह कुलस्तेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में रोजगारोन्मुखी योजनाओं के अंतर्गत किसानों, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और उद्यमियों को राजसहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में ऐसी कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और प्रत्येक योजना के अंतर्गत राजसहायता का प्रतिशत और प्रावधान क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वीकृत राजसहायता राशि के संवितरण के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों में राजसहायता के भुगतान में विलंब के संबंध में शिकायतें सरकार के ध्यान में आई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे विलंब को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित योजनाओं एवं कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, जिनके तहत किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उद्यमियों को रोजगार सृजन, उद्यमिता और ग्रामीण क्षेत्रों में आय वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान की जाती है। इन योजनाओं में कृषि का संपूर्ण क्षेत्र शामिल है, जिनमें ऋण, बीमा, आय सहायता, अवसंरचना, बागवानी सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, कृषि विस्तार, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद और डिजिटल कृषि शामिल हैं।

किसानों को उनकी मोलभाव करने की क्षमता बढ़ाने, इकोनामिस ऑफ स्केल का लाभ उठाने, उत्पादन लागत को कम करने और कृषि उपज के एकत्रीकरण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2020 में ₹6,865 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के साथ "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन" नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया जो स्थायी आय की दिशा में एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। उपर्युक्त योजना के अंतर्गत, किसान उत्पादक संगठन के प्रबंधन हेतु 03 वर्षों की अवधि के लिए प्रति एफपीओ ₹18.00 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, एफपीओ के प्रति किसान सदस्य को ₹2,000 तक के मैचिंग इक्विटी अनुदान का प्रावधान किया गया है, जिसकी सीमा ₹15.00 लाख प्रति एफपीओ है। साथ ही, एफपीओ को संस्थागत ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पात्र ऋणदाता संस्थाओं से प्रति एफपीओ ₹2 करोड़ तक के परियोजना ऋण की ऋण गारंटी सुविधा भी प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 31.12.2025 तक 10,000 एफपीओ पंजीकृत हो चुके हैं। 6557 एफपीओ को ₹430.77 करोड़ की राशि मैचिंग अनुदान के रूप में वितरित की जा चुकी है और 2671 एफपीओ को ₹662.71 करोड़ की ऋण गारंटी जारी की गई है।

कृषि क्षेत्र में राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत सब्सिडी राशि का वितरण संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। यद्यपि सभी योजनाओं के लिए कोई समान समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं की पूर्ति, प्रस्तावों की स्वीकृति और निधि की उपलब्धता के अधीन, समय पर निधि की रिलीज सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है।

(घ) और (ङ): कुछ योजनाओं के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से सब्सिडी राशि के वितरण में देरी की सूचना मिलते ही सरकार ऐसे मामलों पर तत्काल कार्रवाई करती है। सरकार ने कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणालियों को अपनाना, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और सब्सिडी की समय पर प्रोसेसिंग और वितरण सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी किया जाना शामिल है।

अनुबंध

कृषि क्षेत्र में राज्यों को सहयोग देने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की सूची

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
4. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
5. एग्रिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ)
10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
11. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर)
12. पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी)
13. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
14. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
15. सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएच एंड एफ)
16. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
22. समेकित कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल कृषि मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन

*****